

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नरपतसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (13)		सज्जनसिंह पुत्र अलसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88, 188)

मुकदमा नम्बर 160/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.11.2021	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री छैलसिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 27.12.2021 को पेश हो।	
27.12.21	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्जाम होकर आईन्दा दिनांक 28.01.22 को पेश हो।	
23.01.22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्जाम होकर आईन्दा दिनांक 25.02.22 को पेश हो।	
25.02.22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्जाम होकर आईन्दा दिनांक 25.03.22 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
---------------	-----------------------------------


160
2024

श्रीमान् श्रीमान्

04/07/2025

पत्रावली पेश। बाबुलाल ग्रुपस्थित।
 पत्रावली में 'पेशी' हेतु बाबुलाल व पत्रावली के
 आगलक समय में रुक-रुककर भागते दी
 जाने के बावजूद ठोरे उपस्थित नहीं। अतः
 पत्रावली च 8 बड़ीय के पत्रावली के लैडर
 जेम्बरी नहीं होने तथा ग्रुपस्थित रहने पर उक्त
 बाबुलाली स्टैंज पर मलम घाजरी व मलम पैररी
 में शरीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार चेजर क्रम से
 दखिल कर के।


 सहायक कलक्टर
 (SDO) शिव